



UPAU010007782026

**न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरैया**

**पीठासीन अधिकारी-मयंक चौहान (एच०जे०एस०)**

**(JO CODE UP 2011)**

**जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-294/2026**

जयकेश पुत्र शिववीर सिंह निवासी ग्राम गौतला, थाना अछल्दा, जिला औरैया।

..... प्रार्थी/अभियुक्त

**बनाम**

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजन पक्ष

**मुकदमा अपराध संख्या-187/2025**

**धारा- 191(2), 191(3), 190, 109,**

**352, 126(2)बी०एन०एस०**

**थाना- अछल्दा, जनपद औरैया**

**दिनांक:10.03.2026**

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 294/2026, प्रार्थी/अभियुक्त जयकेश की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 187/2025 अन्तर्गत धारा 191(2), 191(3), 190, 109, 352, 126(2)बी०एन०एस०, थाना अछल्दा, जनपद औरैया के मामले में जमानत पर अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरुद्ध है।

2. मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा विपिन कुमार ने थाना अछल्दा, जनपद औरैया में लिखित तहरीर देकर दिनांक 25.09.2025 को 16.53 बजे इस आशय की दर्ज करायी कि प्रार्थी 24.09.2025 की शाम लगभग 08.30 बजे कस्बा अछल्दा से अपने घर वापस आ रहा था। मेरे साथ में मेरा मित्र शिवा निवासी आशा का वाग हम दोनों अपनी मोटरसाइकिल से थे और घाटमपुर पुलिया पर पहुंचे ही सामने से रजनेश पुत्र शिववीर सिंह निवासी गौतला व सुखानी पुत्र सुखवीर सिंह गोतला व राहुल पुत्र राकेश निवासी नं० रामलाल व रौकी पुत्र संजीवकुमार सहित लगभग आठ से दस लोग थे। बाकी लोग को मैंने पहिचान नहीं पाया। जिनके पास तीन दो पहिया वाहन थे। उक्त सभी लोगों ने मिलकर घेर लिया तब मैंने देखा रजनीश के हाथ में दुनाला बन्दूक और राहुल के हाथ में कोई छोटा असलाह था और रजनीश ने मेरा हाथ लेकर ललकारा और मेरे ऊपर बन्दूक से फायर किया और मेरे गोली लगी जिससे मैं गिर गया। मैं किसी तरह उठकर भागने की कोशिश करने लगा कि राहुल ने भी मुझे गाली देते हुए फायर किया। मैंने भागते हुए किसी तरह अपनी जान बचाई, उसके बाद सभी फायर करते हुए फरार हो गये, मैंने फोन पुलिस से किया तब पुलिस ने आकर मुझे अस्पताल पहुंचाया। उपरोक्त तहरीर के आधार पर मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 191(2), 191(3), 190, 109, 352, 126(2) बी०एन०एस० में अभियुक्तगण रजनेश, सुखानी, राहुल, रौकी एवं 8-10 व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत की गयी। दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया। वर्तमान मामले में अभी विवेचना प्रचलित है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है, उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। उसके द्वारा कोई भी अपराध कारित

नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 20 घंटे विलम्ब से अंकित करवायी गयी है। वादी मुकदमा द्वारा उसको उपरोक्त मुकदमा में नामजद नहीं किया गया है और उपरोक्त मुकदमा में नामजद अभियुक्तों द्वारा घटना कारित करना बताया गया है। वादी मुकदमा और प्रार्थी पास के ही गांव के निवासी है और एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते व पहचानते है, यदि वह भी उपरोक्त घटना में शामिल रहा होता तो निश्चित तौर पर वादी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसको भी नामजद किया जाता। उसके द्वारा वादी मुकदमा के साथ न तो कोई गाली गलौज की गयी है और न ही उसपर जान से मारने की नियत से कोई फायर आदि किया गया है। वह दिनांक 20.01.2026 से जिला कारागार इटावा में निरुद्ध है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। सहअभियुक्त गौतम व सुखदेव की जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अतः निवेदन किया गया है कि उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

4. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर गाली-गलौज करते हुए वादी मुकदमा विपिन कुमार का सदोष अवरोध कर जान से मारने की नियत से उसके ऊपर आग्नेयास्त्र से फायर किया, जो गोली उसके लगी और वह गम्भीर रूप से घायल हो गया। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध वर्तमान मामले के अतिरिक्त अन्य चार मुकदमों का आपराधिक इतिहास है। उक्त के आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोप है कि उसने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में वादी मुकदमा विपिन कुमार का सदोष अवरोध कर जान से मारने की नियत से आग्नेयास्त्र से फायर करने का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है। पत्रावली पर मजरूब/वादी मुकदमा विपिन यादव की चिकित्सीय परीक्षण आख्या उपलब्ध है, जिसके अनुसार उसके शरीर पर कुल 6 चोटें आना अंकित है, उक्त सभी चोटों को चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति की चोट होना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 20.01.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः वाद के सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर प्रकरण के गुणदोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त एवं समुचित आधार है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

#### आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **जयकेश** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 187/2025 अन्तर्गत धारा 191(2), 191(3), 190, 109, 352, 126(2)बी०एन०एस०, थाना अच्छल्दा, जनपद औरैया के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा 1,00,000/-रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इसी धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर, दाखिल करने पर नियमानुसार जमानत पर निर्मुक्त किया जाये।

दिनांक-10.03.2026

(मयंक चौहान)  
सत्र न्यायाधीश,  
औरैया।

J.O CODE- UP 2011